

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- राजलक्ष्मी गहलोत, आरं.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 37/15 वाद पत्र

उनवान

1-मीठु पिता बगतावर नाई नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-रोशन पिता शंरलाल नाई नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-गोवर्धन पिता शंकरलाल नाई नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3-राजुलाल पिता शंकरलाल नाई नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4-मु० कला पुत्री शंकरलाल नाई पत्नि सम्पत जी सेन नि कोट हाल नि० आमनेर तहसील भीम जिला राजसमन्द

5-राजुलाल पिता मदनलाल नाई नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6-बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक

7-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज० टी० एक्ट

1-हरीश टेलर -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक **23.05.2018**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोट मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत पांच संयुक्त खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1151 रकबा 0.14 हे०, 1152 रकबा 0.26 हे०, 1177 रकबा 0.12 हे०, 1178 रकबा 0.57 हे०, 1179 रकबा 0.04 हे०, 1229 रकबा 0.14 हे०, 1233 रकबा 0.16 हे०, 1239 रकबा 0.09 हे०, 1243 रकबा 0.16 हे०, कुल कित्ता 09 कुल रकबा 1.68 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 322 पर स्थित है जिसमे वादीगण का 1/3 हिस्से की भूमि का जरिये मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक **23.05.2018** को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान



ग्रा गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


आदेश

ग्राम कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है—

कस कृषकों का नाम	खसरा न0	रकबा (है0)	लगान
1 मीटू पिता बगतावर नाई सा0 देह खातेदार	1178/1	0.26	0.45
	1229	0.14	4.54
	1243	0.16	2.59
किता	3	0.56	7.58
2. रोशनलाल गोस्धनलाल राजूलाल पिता शंकरलाल कल्ला देवी पुत्री शंकरलाल 1/2 राजूलाल पिता मदन 1/2 नाई सा देह खातेदार रहन बी ओ बी शाखा रायपुर हि. शंकरलाल पर	1151	0.14	0.24
	1152	0.26	4.21
	1177	0.12	0.35
	1178/2	0.31	0.54
	1179	0.04	0.12
	1233	0.16	5.18
	1239	0.09	0.16
किता	7	1.12	10.80

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख **23.05.2018** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


 राजलक्ष्मी गहलोत
 सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
 रायपुर जिला भीलवाडा